कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या–3190/xxv–12(9) /2018 देहरादून : दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

श्री एस.के. अवस्थी,
किशनपुर (वकील फार्म)
किच्छा, उधमसिंहनगर,
उत्तराखण्ड–263148,

विषय– **पत्रांक 2813/XXV–12(9) 2018 दिनांक 05/08/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके अनुरोध पत्र दिनांक 27.8.2019 के सम्बन्ध में कहना है कि आप अपने संदर्भित पत्र में अंकित विन्दुओं के माध्यम से नियमानुसार कौन सी अभिलेखीय सूचना चाह रहे हैं अथवा अपना सुझाव/मन्तब्य प्रस्तुत कर रहे हैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

2–आपके उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों में अस्पष्टता के कारण सूचना उपलब्ध करायी जानी सम्भव नहीं हो पा रही है।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

प्राप्त – 30/8/19

?/m.d 9/10/2019

Date: 27/08/2019

सेवा में,

श्री डी. पी. डंगवाल
अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर-4
सुभाष रोड, देहरादून – 248001 (उत्तराखंड)

<u>विषय:</u> आपके पत्रांक संख्या 2813 / XXV-12 (9) 2018 दिनांक 05/08/2019, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भ में आपके पत्र संख्या 2765 दिनांक 26/07/2019 में स्पष्ट किया गया है कि 107/116 की कार्यवाही निर्वाचन विभाग द्वारा नहीं की जाती है। इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि चुनाव के समय आपके निर्देशानुसार यह कार्यवाही की जाती है। इस विषय में आप द्वारा प्रदान की गयी निर्देशों की कॉपी संलग्न कर रहा हूँ। उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रया है और आप द्वारा किस कार्यवाही का विधान है कृपया सूचित करें। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि किच्छा ऊधम सिंह नगर में लोकसभा चुनाव के दौरान जो 107/116 के अंतर्गत कार्यवाही हुई है उनकी जांच की जाए। स्पष्ट हो जाएगा कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं.

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी ऊधम सिंह नगर के पत्र संख्या 1154/25-जांच/018-19 दिनांक 09/07/2019 में उल्लिखित है कि आपराधिक पृष्ठभूमि से भिन्न व्यक्तियों पर भी कार्यवाही की जा सकती है। यह एक स्वैच्छिक क़ानून बना लिया गया, जिमें पुलिस स्वतंत्र है कि वह किसी पर भी कार्यवाही कर सके। कृपया यह स्पष्ट करें कि यह भिन्न व्यक्ति कौन हो सकते हैं जिससे पुलिस की मनमानी पर अंकुश लग सके।

धन्यवाद।

भवदीय

एस. के. अवस्थी
किशनपुर (वकील फार्म)
किच्छा, ऊधम सिंह नगर
उत्तराखंड – 263148

संलग्न: 1) रू.10/- पोस्टल ऑर्डर सं. 46F 381341
2) यथोपरि

(ङ) निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को निर्भीकता पूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये शासन/प्रशासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए :-

(i) निर्वाचन अवधि के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों के लाईसेंसधारियों के आग्नेयास्त्रों जमा कराये जायें तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जायें ।

(ii) निर्वाचन कार्यों में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय ।

(iii) मतदान केन्द्रों/स्थलों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूथ कैप्चरिंग की घटनायें घटित न हो तथा दलित/निर्बल वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाय ।

(iv) मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय ।

(v) मतदान एवं मतगणना की तिथि पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय ।

(vi) मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय ।

(vii) मतदान की तिथि पर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाय ।

उक्त के आलोक में यदि **आदर्श आचरण संहिता** का कोई उल्लघंन प्रकाश में आये तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय ।

आदर्श आचरण संहिता के तहत उल्लिखित व्यवस्थाओं से अवगत होते हुये सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों तथा कार्यालयध्यक्षों द्वारा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय ।

सुबर्द्धन
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड ।

सूचना का अधिकार के अन्तर्गत छायाप्रति प्रमाणित
(बी० पी० कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

मतदान करके देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें !

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
उधम सिंह नगर।

सेवा में,

सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

संख्याः 1154 /25– जांच /018–19 दिनांक 09 जुलाई, 2019

विषय :– श्री एस. के. अवस्थी किशनपुर वकील फार्म किच्छा उधम सिंह नगर के शिकायती पत्र के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–2397 दिनांक 22 मई, 2019 एवं पत्र संख्या 2638 दिनांक 5 जुलाई, 2019 के साथ संलग्न श्री एस.के. अवस्थी किशनपुर (वकील फार्म) किच्छा के शिकायती पत्र दिनांक 8 मई, 2019 एवं 9 मई, 2019 के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर से जांच कराई गई। उक्त शिकायती प्रकरण के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी निर्वाचन, उधम सिंह नगर के द्वारा अपनी जांच आख्या पत्र संख्या–लो0स0नि0–विविध/2019 दिनाक 05 जुलाई, 2019 में अवगत कराया गया है कि इस संबंध में क्षेत्राधिकारी, सितारगंज से जॉच करायी गयी, जिनकी स्वतः स्पष्ट जॉच आख्या दिनांकित 12 जून 2019 संलग्न कर प्रेषित है। जॉच से पाया गया कि श्री संजीव कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिनके द्वारा लोक सभा चुनाव 2019 में शान्ति भंग करने की प्रबल सम्भावना थी तथा आपस में पार्टी बन्दी कर लड़ाई झगड़े से शान्ति व्यवस्था भंग कर सकते थे, जिसके फलस्वरूप लोक सभा चुनाव में शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना के दृष्टिगत श्री संजीव कुमार के अतिरिक्त 12 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध उ0नि0 श्री प्रकाश राम विश्वकर्मा थाना किच्छा द्वारा दिनांक 16-03-2019 को धारा 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी है। लोक सभा चुनाव 2019 को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु धारा 107/116 दं0प्र0सं0 का पालन किया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर धारा 107/116 की कार्यवाही नहीं की गयी है। धारा 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के विरूद्ध भी अमल मे लायी जाती है, जिनके कृत्यों से शान्ति/ कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त क्षेत्राधिकारी सितारगंज की आख्या से सहमत होते हुये अवगत कराना है कि धारा 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही मात्र अपराधिक व्यक्तियों के विरूद्ध ही नहीं की जाती है वरन ऐसे व्यक्तियों जिनसे शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने की सम्भावना होती है, उनके विरूद्ध भी धारा 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की जाती है।

इस संबंध में संयुक्त निदेशक (विधि) उधम सिह नगर से भी विधिक आख्या प्राप्त की गयी, उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–स0नि0अभि0(17)/विधिक राय/2019/274 दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि 107/116 दं0प्र0सं0 के तहत की जाने वाली कार्यवाही एक निरोधात्मक कार्यवाही है, जिससे भविष्य में कोई अपराध न हो। अतः इस प्रकरण में भी थाना किच्छा पुलिस द्वारा चुनावों की परिस्थितियों को देखते हुए कार्यवाही की गयी, जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि से से भिन्न व्यक्तियों पर भी कार्यवाही की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण पर अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी निर्वाचन, उधम सिंह नगर द्वारा दी गई जांच आख्या एवं संयुक्त निदेशक, (विधि) उधम सिंह नगर के पत्र संख्या–स0नि0अभि0(17)/विधिक राय/2019/274 दिनांक 6 जुलाई, 2019 द्वारा दी गई विधिक आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उधम सिंह नगर।